संख्या-124/2024/3052/तीस-3-2024 (ई 1870664)

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2024

विषय सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता की समकक्ष अर्हता के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3/2023/312/ 47-का-2-312एलसी/2022, दिनांक 19 जुलाई, 2023 एवं तत्क्रम में अपने पत्र संख्या- 3952 ई/2024-72 (ए) ई/2000, दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), उ0प्र0 के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) हेतु विधि स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के संबंध में केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की गयी त्रिवर्षीय विधि स्नातक की उपाधि को पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की उपाधि (B.B.A.L.LB, B.A.L.LB, B.Com L.LB, B.Sc.L.LB) के समकक्ष अर्हता घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
(2) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा ई अधियाचन में की गयी पृच्छाओं के निवारण हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराने का कष्ट करें।
(3) कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
(4) उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in